

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ, दिनांक 15-5-2019

-कार्यालय ज्ञाप-।

अधिन सारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु दिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संघर्षत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से अभावित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश वसता पुष्टि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध-2 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम अभावित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मध्य विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

" संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश वसता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिनिस्ट्रेशन/फीस/सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश वसता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश वसता
1	कॉलेज ऑफ प्राथमिक शिक्षा, गोरखपुर	कॉलेज ऑफ प्राथमिक शिक्षा, गोरखपुर	सिटी इंजीनियरिंग मेकैनिक्स एवं एंड्रॉमिडियम इंजीनियरिंग	120 80 120	120 80 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2012 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,000.00/- अतिरिक्त, दो वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रमों हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक सत्र/आवक में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राथ/द्वार्षिकों के शुल्कों की सम्बन्ध में समझ-समझ पर आसलत प्राथ निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रकाश होगे, और गदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीघ्र निर्णय समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की समीक्षा पर जतन होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समिति की तथा एक समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाएगा) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीघ्र के शिक्षा एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशन से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रारम्भ द्वारा कक्षा एवं विधि/विद्यार्थी/अभियन्तरी/शालायासी/निर्देश एवं निर्देशक, प्राध्यापक शिक्षा, उपाध्यक्ष, संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा कक्षा एवं विद्यार्थी, अभियन्तरी, आदेशों निर्देशों का प्रारम्भ करने के विधि वास्तु होगा।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्मिकी कार्यक्रमों की संख्या एवं विधि/विद्यार्थी एवं दिल्ली से अनुसूचित प्रवेश करने में अंतर्गत करती है तो इन संधि में समस्त कार्यवाही संस्था का होगा जो विधि एवं में किसी भी कार्यवाही को विधि संस्था स्वयं कार्यवाही करती। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशात्मक प्रवेश प्रारम्भ को कोई कार्य वास्तु किया जाता है तथा कक्षा एवं में संस्था में मा. न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्देश विधि करता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी संस्था को करती होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्मिकी कार्यक्रमों संबंधित करने वाली संस्थाओं को संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष प्रवेश परीक्षा निर्देशात्मक द्वारा प्रेषण करने के विधि/विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही करने होने में पूर्व परिशीलन/अर्थ से अनुसूचित प्रवेश एवं विधि/विद्यार्थी को संस्था का प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश को (कार्यालयिक के माध्यम से संस्था संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रेषण की जायेगी।
- ✓ कक्षा प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश न्यायपालिका आदेश विधि का अनुसूचित प्रवेश प्रारम्भ होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट का संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की सुविधात्मक सुविधाएं, स्थान, समय-समय, प्रवेश, प्रवेश विधि एवं प्रवेश शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण प्रारम्भ कराना होगा।
- ✓ संस्था की विद्यार्थी-अभियन्तरी हेतु अनुसूचित प्रवेश परीक्षा करने के साथ विधि/विद्यार्थी के संस्था में समस्त प्रवेश परीक्षा संबंधी सुविधाएं करती होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रवेशित/संबंधित कार्यक्रम को करने होने हेतु निर्देशात्मक समिति को संस्था प्रारम्भ करती एवं अभियन्तरी सुविधा-संस्था करती एवं प्रवेश परीक्षा द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संबंध में प्रेषण किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपाध्यक्ष का प्रवेश विधि/विद्यार्थी एवं कार्य के विधि/विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा की संस्था प्रारम्भ करने की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ संस्था प्रवेश परीक्षा का अनुसूचित एवं विधि/विद्यार्थी एवं प्रवेश परीक्षा के प्रारम्भ विधि/विद्यार्थी में विधि/विद्यार्थी अनुसूचित/संस्था कार्यवाही की जायेगी।

(समीक्षक द्वारा विधि)
समीक्षक

संस्था- प्राथमिक/परिषद संख्या/2019/1133-2262

दिनांक: 15-5-2019

प्राथमिक-प्रवेश/विद्यार्थी/निर्देशक, राज्यांक विधि प्राथमिक, अमुनिज, जौनपुर।

9
(समीक्षक द्वारा विधि)
समीक्षक

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राज्य प्रवेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

संख्याक दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय ध्यान-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय कायदित्त अफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को धरते प्राथमिक शिक्षा परिषद, (एनईए) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को लखनऊ, प्राथमिक शिक्षा परिषद, एनईए लखनऊ की अध्यक्षता में विशेष कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-2 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रसारण सजा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सहित विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, एनईए लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एंजाईंसीटीआईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सहायक अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एंजाईंसीटीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अफिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एंजाईंसीटीआईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, एनईए लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों को अर्पित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एंजाईंसीटीआईई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	महाशय सिंह बालीटिभिक, जमुनिया, जौनपुर।	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग	120 120 60	120 120 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एंजाईंसीटीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शून्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शून्य तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय भारतीय भारतीय पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय भारतीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शून्य की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त को अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शून्य के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रत्येक होर्ग, और तदनुसार मार्गदर्शक किया जाना आवश्यक होगा। शून्य निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु शून्य का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शून्य की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (एनईए प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा उक्त समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(Handwritten signature)

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एग्रीजेंट/असिस्टेंट/पीएल/पीएल/आई/सी/पीएल/आई/सी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशी, प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का मारुत करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी हल कार्यालयी पाठ्यक्रम को सम्पूर्ण यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दायर किया जाता है तथा दायर पाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी हल कार्यालयी पाठ्यक्रम संबन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व पीएल/आई/सी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णित गतिगत आवास नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त आचारण उपलब्ध करने के साथ शैक्षिक योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संबन्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति को सन्तुष्ट उपलब्ध कराने गये अधिलेख, भूमि-संपन्न, सगीकर, जमकरन इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था-उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सम्पन्न किया जाने की अनुमति को जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता छूटों का अनुपालन न किये जाने अथवा छूटों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(दया शर्मा सिंह)
सचिव

गुठसं- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि-ज्वालामर्त/निदेशक, गजराज सिंह पाजीदेविका, जमुनिया, जौनपुर।

(दया शर्मा सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4838-GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC , JAMUNIYA , JAUNPUR.			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC , JAMUNIYA , JAUNPUR.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव